मदरसा मुस्लिम शिक्षा के केंद्र होते हैं। इसके दो मुख्य अभिकरण होते हैं- मकतब तथा मदरसा। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है जबकि मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। ये प्रायः दो अर्थों में लिए जाते हैं- सामान्य अर्थ में विद्यालय तथा दूसरे अर्थ में एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये केवल हदीस और कुरान तक ही सीमित नहीं हैं। (इन्सैक्लोपिडिया ऑफ़ इस्लाम,1974)। अर्थात यह धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। यह अरबी भाषा के दर्स शब्द से बना है जिसका अर्थ है किसी को कुछ पढ़ाना/सिखाना (अलजुनैद और हुसैन 2005)। वह संस्थान जो दसवीं तक की शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें मदरसा कहते हैं। दारुल-उलूम शब्द का उपयोग बारहवीं की इस्लामिक शिक्षा के लिए किया जाता है, और जामिया शब्द विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है (रियाज़, 2008)। संक्षेप में ऐसा कोई संस्थान जो इस्लामिक मूल की कुरान की शिक्षा प्रदान करता है, मदरसा कहलाता है। इनका उद्देश्य आलिम का निर्माण करना होता है, जो इस्लामिक शिक्षा का प्रसार कर लोगों की खिदमत करे (बानो, 2008)। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मदरसा एक ऐसी संस्था है जहाँ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया चलती है। चूँकि मदरसा शिक्षा का मुख्य कार्य परंपरागत इस्लामिक शिक्षा का प्रसार करना है, इसलिए मदरसा शिक्षा और उसके उद्देश्यों को समझने के लिए ये आवश्यक है कि इस्लामिक शिक्षा को समझा जाये इससे हमें मदरसा शिक्षा के संदर्भ तथा यह किस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा से भिन्न है इसको समझने में मदद मिलेगी।

1.2 इस्लाम में शिक्षा

इस्लाम पूर्णतः अल्लाह के प्रति समर्पण है और मुसलमान वो है जो समर्पण करता है जबकि कुरान इस्लाम और इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है एवं यह सभी प्रकार की इस्लामिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुरान के अतिरिक्त इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था में एक बेशकीमती स्थान है (सिकंद, 2004)। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस्लामिक ज्ञानमीमांसा धर्म और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है (अल-ज़ीरा, 2001)। इस्लाम में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है, पवित्र ग्रंथ कुरान के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मुहम्मद साहब के अनुसार ज्ञान की खोज करो चाहे इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े (मिया साहिब, 1991)। कुरान की पहली आयत ही इकरा से शुरू होती है जिसका अर्थ है पढ़ना। कुरान में कहा गया है कि प्रत्येक मर्द और औरत को शिक्षा हासिल करना अनिवार्य है। अशिक्षित

व्यक्ति एक मरे हुए इंसान की तरह है अर्थात वह शारीरिक तौर पर तो जिंदा है लेकिन उसकी रूह मर चुकी होती है। शिक्षा पर ज़ोर देते हुए कहा गया है कि शिक्षा माँ की गोद से शुरू होकर कब्र की गोद तक हासिल की जाये, जिसे अरबी में **'लहद से लेकर अहद'** तक कहा गया है (साजिद कासमी 2005)। इसलिए सामूहिक मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की गयी जिसे मदरसा शिक्षा प्रणाली कहा जाता है।

1.3 मदरसा शिक्षा का इतिहास

मदरसा शिक्षा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद साहब के द्वारा इस्लामिक शिक्षा (मदरसा शिक्षा) की शुरुआत मक्का में सफा पहाड़ी के पास 'दारुल अकरम' से होती है (साजिद कासमी, 2005)। 622 ई. में जब मुहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तब वहां पर मस्जिद-ए–नब्वी शिक्षा का केंद्र बना। यहाँ पर स्त्री एवं पुरूष दोनों ही शिक्षा हासिल करने के लिए आते थे (अलवी, 1998)। हज़रत मुहम्मद साहब के युग के बाद अरब प्रायदीप के बाहर मदरसों और उल्लेमाओं ने धार्मिक विशेषज्ञों के रूप में इस्लामिक शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया (योगेन्द्र सिकंद, 2011)। बग़दाद में उमय्याँ वंश में मदरसे का प्रचलन हुआ, इस युग में जो पहले से अनौपचारिक शिक्षा चल रही थी उसे औपचारिक शिक्षा का रूप दिया गया, अधिकांश मस्जिद, घर एवं दुकानों को प्राथमिक शिक्षा के केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया (अहमद, 1985)। अब्बासी युग के दौरान जब मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति अपने चरम सीमा पर थी तब मुस्लिम न केवल यूनानियों के साहित्य और दर्शन में कुशल थे बल्कि विज्ञान में भी पारंगत हो गये। इस अवधि के दौरान सीखने की संस्था के रूप में 830 A.D में अल-मॉमून द्वारा बैत-ऊल-हिकमा की स्थापना हुई (कासमी, 2005)। जबकि पहली इस्लामिक संस्था जो व्यापक स्तर पर स्थापित हुई अल-मुइज़ (925-975 A.D) द्वारा अल-अजहर काहिरा विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया (लतीफ़, 1998)। 9वीं शताब्दी में बग़दाद पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र बन गया। विश्वभर के दर्शनशास्त्री, गणितज्ञ तथा वैज्ञानिक आदि बग़दाद आये। विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद प्रत्येक ज़बान जैसे- लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत आदि में कराया गया। इब्न-ए-रूशद और इब्न-ए- सिना ने अरस्तु के कार्यों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बीजगणित, त्रिकोणमिति, अभियांत्रिकी तथा खगोल विज्ञान आदि जिनकी बात आज हम करते हैं उसकी शुरुआत कई सौ वर्ष पहले बग़दाद में हो चुकी थी (इस्लाम: एम्पायर ऑफ़ फेथ, 2013)। स्टेनली लीन्पोल (2012) की पुस्तक A World Without Islam के अनुसार दर्शन, चिकित्सा तथा संगीत के क्षेत्र में अरब सभ्यता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा कई शिक्षा संस्थाएं

अस्तित्व में आयीं जैसे बग़दाद का मदरसा मुस्तम सरियाह एवं जामिया निज़ामिया, उत्तर अफ्रीका का करावें विश्वविद्यालय, काहिरा का अल-अज़हर तथा स्पेन का कोराडोवा विश्वविद्यालय। अल-गज़ाली जैसा महान शोधार्थी इन्ही संस्थाओं की उपज है।

इन संस्थानों में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी (मजूमदार, 2003)। इन सारे मदरसों ने विश्व को महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्री दिए। The Medico (Novel) के अनुसार स्पेन का कोराडोवा विश्वविद्यालय जिसे अब गिरजाघर बना दिया गया है, वहां पर पादरियों ने लगभग 10 लाख किताबों को जला दिया जिसमे गणित, विज्ञान एवं दर्शन आदि की किताबें शामिल थीं। महान इतिहासकार A.J.Joybee की किताब 'इतिहास का अध्ययन' में 600 साल की 25 संस्कृतियों का अध्ययन कर बताया कि जब पूरा यूरोप अंधकार में जी रहा था तो उनको रौशनी में लाने का कार्य अरबवासियों ने ही किया था।

1.4 भारत में मदरसा शिक्षा

भारत में मुस्लिम हुकूमत 12 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी तक चली। भारत में मदरसा शिक्षा को दो प्रमुख कालखंडो में देख सकते हैं -

- ❖ सल्तनत काल के दौरान मदरसा शिक्षा
- ❖ मुगलकालीन मदरसा शिक्षा

भारत में सल्तनत काल की शुरूआत शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी (1203-1206) से हुई। इसने शिक्षा के विकास के लिए 'ताजुल मसिर' नाम से मदरसे की बुनियाद डाली। साथ में कई मकतब और मदरसे स्थापित किये। सुलतान इल्तुत्मिश(1206-1210) ने 'मदरसा मोज़िया' कायम किया (खान,1973)। इसके बाद कई और सुल्तानों जैसे नसीरुद्दीन मुहम्मद (नसरिया मदरसा) बलबनअलाउद्दीन खिलजी (मकबरा-ए-अलाउद्दीन खिलजी) फिरोज़ शाह तुगलक तथा सिकंदर लोदी आदि ने मदरसे की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। सुल्तान महमूद शाह (1375-1395) ने शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित किया तथा अनाथों एवं ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन एवं रहने की व्यवस्था की। बीदर में मदरसा और पुस्तकालय बनवाया। जिसमें 30,000 पुस्तकें थी (अहमद 2008)। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तब कुछ वक्त के लिए शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी थी परंतु सिकंदर लोदी (1489-1395) ने इसमें सुधार किया और जौनपुर, अहमदाबाद, बिहार, गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद आदि में मदरसे की स्थापना की।

1.5 मुगल शासन के दौरान मदरसा शिक्षा

पूर्ववर्ती मुसलमान शासकों की अपेक्षा मुगलों की शिक्षा में अधिक रुचि थी। पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर (1526-1530) ने पहले से स्थापित मदरसों की मरम्मत करायी। अकबर ने महाभारत, रामायण, अर्थवेद आदि का अनुवाद कराया तथा आगरा फतेहपुर और कई जगहों पर मदरसे स्थापित किए। जहाँगीर ने एक कानून बनाया कि जो व्यक्ति लावारिस मरेगा उसकी संपत्ति विद्यालयों तथा धार्मिक भवनों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाएगी (भटनागर एवं कुमार, 2005)। इसके अलावा, शाहजहाँ तथा औरंगजेब आदि ने मदरसे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी युग में मदरसा व्यवस्था में दर्स-ए-निज़ामी के रूप में महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले मदरसे का पाठ्यक्रम जो मुल्ला निजामुद्दीन (1089-1161) द्वारा बनाया गया, जो विज्ञान, कला और धार्मिक शिक्षा पर आधारित था (लान, 1973)। मुगलों के दौर में कई यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने के लिए भारत आयी। अंग्रेजों का दखल शासन व्यवस्था के साथ-साथ सभी क्षेत्रों पर पड़ा। वारेन हास्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की बुनियाद डाली गई तथा साथ ही हुगली में मदरसा मोहसिनियाँ कायम किया गया (अखलाक,1985)। इसी प्रकार दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बिहार एवं सिंध इत्यादि में कई मदरसे कायम हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर सय्यद अहमद खां अपनी प्रसिद्ध पुस्तक असस्अल-सनादीद में लिखते हैं कि मुग़ल काल के दौरान मकतब तथा मदरसे देश और देश के बाहर तक फैले हुए थे वह आगे लिखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के समय से ही शुरू हो गया था लेकिन मदरसे की स्थापना अंतिम मुग़ल शासक तक होती रही (हक़, 2013)।

1.6 ब्रिटिश भारत में मदरसा शिक्षा

मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिस्थापन हुआ इसका असर देश के हर एक क्षेत्र राजनीति, समाज, संस्कृति एवं शिक्षा पर हुआ। मदरसा शिक्षाभी इससे अछूता नहीं रहा क्योंकि सत्ता का अंतर केवल एक राजनैतिक शक्ति तक ही सीमित नहीं था बल्कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक संस्कृति एवं भावात्मक स्थिति पर भी पड़ा। उस समय मदरसा शिक्षा प्रणाली लोगों को तैयार कर रही थी परंतु अब इसमें तेज़ी से परिवर्तन आ रहा था मदरसा उन संस्थानों में से एक था जिसने उस समय के परिवर्तन के कड़वे स्वाद को चखा (हक़, 2011)। 1781 में वारेन हेटिंग्स नें कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानून तथा अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करना था। फिर 1836 में अंग्रेजी सरकार द्वारा मैकाले शिक्षा पद्धति लागू किए जाने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों को अपनी-अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुसलमानों को ये डर था

कि उनकी सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाएगी लिहाज़ा 1866 ई० में उत्तर प्रदेश के नानौता निवासी हज़रत मौलाना मुहम्मद याकूब नानौतवी ने सहारनपुर एवं मुज़फ्फरनगर के बीच देवबंद कस्बे में एक पेड़ के नीचे अपने एकमात्र शिष्य महमूद हसन को पढ़ना शुरू किया और आज यह मदरसा दारूल-उलूम के नाम से प्रसिद्ध है (दशाहिद रहीम)। इसी सिलसिले में दारुलउलूम देवबंद (1867),जामिया निज़ामिया (1876) नदवतुल उलेमा (1894) आदि मदरसे स्थापित किए गए (अखलाक, 1985)।

1.7 आजादी के बाद मदरसा के उत्थान के लिए सरकारी नीतियां

स्वतंत्रता के बाद भारत एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। ऐसे कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के कारण धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। परंतु उस वक्त भी मदरसा शिक्षा पद्धति तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 7 मई 1995 को दिल्ली में आयोजित मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री माधव राव सिंधिया ने कहा कि भारत में मुगल शासन के समय 125000 मदरसे थें। इस सर्वेक्षण की पुष्टि जून 1996 में प्रकाशित हमदर्द शिक्षा समाज ने की है (हक 2013)। परंतु धीरे धीरे मदरसे की शिक्षा का स्तर गिरने लगा मदरसों का विकास और उनका अस्तित्व मुख्य रूप से संबंधित इलाके में सरकारी विद्यालयों की कमी के कारण होता आया है, जिसे 'आपूर्ति पक्ष की असफलता' भी माना जा सकता है। मुस्लिम शिक्षाविदों का मानना तो यह भी है कि अगर एक अच्छे सरकारी विद्यालय और मदरसे के बीच विकल्प दिया जाए, तो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहले विकल्प का चयन करने की ज्यादा संभावना रखते हैं।

विशेष रूप से '9/11' के बाद मदरसा को अंतर्राष्ट्रीए स्तर पर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा (कुनुद्सेन, 2002)। यहाँ तक कि यह भी आरोप लगाया गया है कि मदरसों के जरिये आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, पिछले दिनों भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने तो मदरसों को आतंकवाद का गढ़ तक कह दिया था लेकिन हाल ही में "इंटेलिजेंस ब्योरो" द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार को एक रिपोर्ट सौपी गयी है जो इन दावों को खारिज करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के मदरसों में सिर्फ इस्लामी शिक्षा दी जाती है जिनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है (अनीस, 2015)।

मुस्लिम समुदाय का अपने धर्म के प्रति झुकाव मदरसों की बढ़ती संख्या के पीछे एक ज़रूरी कारण माना गया है। कुछ शिक्षाविद यह भी मानते हैं कि मदरसा स्थापित करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक शिक्षा है, जिसके बाद संप्रदाय का वैचारिक वर्चस्व भी एक ज़रूरी उद्देश्य बन जाता है (असदुल्लाह एवं चौधरी, 2006)। विशिष्ट उलेमाओं का चुनिंदा मदरसों पर नियंत्रण है जिसे वह

जल्दी त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में अब मदरसा ही उनकी सत्ता का एकमात्र शेष क्षेत्र है जहां मुस्लिम संप्रदाय अल्पसंख्यक है।

वर्तमान भारत में मौजूद मदरसों की संख्या का कोई सटीक दस्तावेज नहीं मिल पाया है। देशभर में व्यापक रूप से फैले हुए मदरसे उत्तरी और पश्चिमी भागों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मोटा-मोटी आंकड़े के अनुसार उनकी संख्या 8000 से 30,000 के बीच बताया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10,000 से अधिक मदरसे हैं, जो देश के सबसे अधिक धार्मिक स्कूलों की संख्या वाला राज्य है। इसके बाद केरल (9975), मध्य प्रदेश (6000), बिहार (3500), गुजरात (1825), राजस्थान (1780), कर्नाटक (961) और असम (721) धार्मिक विद्यालयों की संख्या राज्यों के स्तर को दर्शाते हैं। इस सूची में दो प्रकार के मदरसे हैं: एक जो मान्यता प्राप्त होने के कारण सरकारी प्रणाली में काम करते हैं जहाँ कभी-कभी अनुदान सहायता भी प्राप्त होती है, और दूसरे प्रकार के मदरसे जो सरकारी प्रणाली केबाहर होने के कारण पाठ्यक्रम में मुख्यधारा के विषयों की शुरुआत पर्याप्त ढ़ंग से नहीं हो पाई है (वानी,2012)।

1.8 कानूनी प्रावधान

जहाँ कुछ मदरसे संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत या इसी तरह के राज्य विशेष अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, इनमें से कई वक़्फ़ की संपत्तियाँ हैं इसलिए इनका संचालन वक़्फ़ के अधिनियमों द्वारा होता है। इसी तरह बहुत सारे मदरसे संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 / वक़्फ़ अधिनियम के अलावा भी संचालित होते हैं। जिनको अक्सर एक ही खानदान के लोग संचालित करते हैं। [1]

[1] http://minoritywelfare.up.nic.in/201617/GOs/Madarsa/Madarsa%20Niymavali%202016.pdf

1.9 मदरसे के अस्तित्व एवं प्रसार के लिए राज्य संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता के बाद मदरसे देश के अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक प्रत्याभुतियों से प्रभावित होते आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा के मामले में जानबूझकर या अन्यथा, राज्य ने अंग्रेजी अवधारणा को अपनाया है, जहाँ शिक्षा को धर्म से लगातार दूर रखने का प्रयास किया जाता है। मुस्लिम समुदाय, पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में 'अधिसूचित' होने के कारण संविधान के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए योग्य हैं। इसके तहत कानूनी तौर पर समक्ष समानता और अवसर की समानता, रोजगार के 'मौलिक अधिकार' उसे अनुदत्त किये जाते हैं। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में अधिकार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 से 28) और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) के तहत मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला, धर्म का प्रचार करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और उनके हितों की रक्षा करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो अल्पसंख्यक समुदायों कों शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का पूरा अधिकार देता है (पठन एवं मुंजवर, 2012)।

सच्चर समिति रिपोर्ट' के अनुसार "6-14 वर्ष की आयु समूह के एकचौथाई मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए मैट्रिक स्तर पर मुस्लिमों की शैक्षिक उपलब्धि 26 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 17 प्रतिशत है। केवल 50 प्रतिशत मुस्लिम जो मिडिल स्कूल पूरा करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 62 प्रतिशत की तुलना में माध्यमिक शिक्षा पूरा करते हैं।" रिपोर्ट में मुस्लिम महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा में मुस्लिमों के बीच निम्न स्तर की शैक्षणिक प्राप्ति की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने मुस्लिम समुदायों की शैक्षिक स्थिति के सुधार के लिए अनेक सिफारिशें भी की हैं। इसके अलावा श्री मो.ए.ए. फातमी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भी न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्रवाई योजना निरूपित की है।[2]

[2] http://mhrd.gov.in/hi/educational-development-minorities-hindi

1.9.1 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा से संबन्धित संवैधानिक अधिकार एवं प्रावधान

अनुच्छेद 15 (3, 4 व 5) महिलाओं बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोक न होने की व्यवस्था की गयी है (गुप्ता, 2010)।

अनुच्छेद 28 कहता है कि 'किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा अगर वह पूरी तरह से राज्य निधि के नियंत्रण के बाहर हो वहीं खंड (2) जोड़ता है कि खंड (1) सिर्फ उन्हीं शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित की जाती हैं। किसी संस्थान या ट्रस्ट के अंतर्गत स्थापित संस्थान धार्मिक निर्देशों की मान्यता देख सकती है।

संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि को प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्थान से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक निर्देशों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब तक उसकी या नाबालिगों के मामले में संरक्षक की, अनुमति प्राप्त नहीं की जाए। लेकिन अनुच्छेद 29 और 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि 'भारतीय क्षेत्र में सभी नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।' अनुच्छेद 30 इस बात पर जोर देता है कि 'सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा... राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में हो या किसी धर्म या भाषा पर आधारित हो। '(सोनी, 2010)।

अनुच्छेद 30 (1 व 2) के अनुसार धर्मया भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं तथा प्रशासित कर सकते हैं। राज्यसरकार अनुदान देते समय इन संस्थाओं में केवल इसलिए भेदभाव नहीं करेगी कि ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के द्वारा विशेष नियमों के अंतर्गत चलाई जा रहीं हैं। इस प्रकार से संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है (गुप्ता, 2010)।

1956 में संविधान में संशोधनों के तहत (सातवीं संशोधन, अनुच्छेद 350 ए और बी), प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और उर्दू भाषा को, अन्य

भाषाओँ में, शिक्षा के माध्यम के रूप में वैधता प्राप्त कराई गई है जिसके साथ एक विशेष भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारी भी उपलब्ध कराया गया है। 1978 में हुए चवालीसवें संवैधानिक संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की भूमि के अभिग्रहणकी स्थिति में '... ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण पर उसके कानूनी अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द नहीं किया जा सकेगा...' जिससे ऐसी संस्थाओं का उचित प्रबंधन हो सके (विकिपीडिया, 2017)।

संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि "राज्य विशेष सावधानी से व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के सामाजिक दोहन से रक्षा करेगा"। संविधान का अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 और पूरी पांचवीं एवं छठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में नियत उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधानों को डील करता है।[3]

1.9.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी समुदायों के लोग शांति एवं सदभाव से रहते हैं। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए आगामी वर्षों में विभिन्न सरकारों ने कई आयोगों की स्थापना की और विशिष्ट सहायता कार्यक्रमों को आरंभ भी किया, जिनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय और मदरसों पर केंद्रित थे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार करने हेतु 1978 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एक प्रमुख पहल थी। इसके बाद 1992 में इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध एवं पारसियों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है।[4]

1.9.3 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग

2004 में अपने चुनावी वादे के बाद, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के तहत संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। इसकी स्थापना 11 नवंबर 2004 को हुई। जिसका कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक अधिकार एवं उनके शैक्षिक संस्थान के संरक्षण के बारे में सुझाव देना था। संविधान संसोधन 2006

[3] http://mhrd.gov.in/hi/educational-development-minorities-hindi

[4] http://www.pib.gov.in/newsite/hindifeature.aspx?relid=24351

और 2010 के बाद इस आयोग की शक्तियों में विस्तार किया गया। आयोग के पास तीन प्रकार की शक्ति थी। निर्णायक का कार्य सालहकार की भूमिका एवं भूमि अधिग्रहण की शक्ति इसी आयोग ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को प्रमाण पत्र जारी किया। यह कानून अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अपनी पसंद के किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धित होने का आधिकार प्रदान करता है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए 'गैर-आक्षेप प्रमाण पत्र' प्राप्त कराने में भी यह कानून अल्पसंख्यकों की समस्याओं को संबोधित करता है। आयोग शैक्षिक संस्थानों के अल्पसंख्यक स्तर से संबंधित विवादों को हल करने का भी अधिकार रखता है। आयोग की स्थापना के साथ यह दर्शाया गया कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) को पहली बार प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और मदरसा जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों ने मुख्यधारा के विश्वविद्यालयों से संबद्धता का दायरा भी बढ़ाया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति पर उठे सवाल और एक उच्च न्यायालय के फैसले ने अनुच्छेद 30 (1) की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है क्योंकि कानूनी तौर पर केवल अदालत ही शैक्षणिक संस्थानों के अल्पसंख्यक स्तर को निर्धारित कर सकता है। वास्तव में अनुच्छेद 30 (1) के प्रावधान कई न्यायालयों के मुकदमों का विषय रहें हैं। ईसाई मिशनरी संस्थानों ने अधिकांश मामलों को दायर किया है, वहीं बहुत कम मुस्लिम संस्थानों ने अदालत में अपनी शिकायतें दर्ज करायी हैं (महमूद, 2007)।

1.9.4 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एन. एम. सी. एम. ई)

यह आयोग की स्थापना मंत्रालय के दिनांक 23.12.2011 को की गयी तथा पुनर्गठित समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 5 मार्च, 2012 को हुई। इस बैठक में एन एम सी एम ई की स्थायी समिति और एन. एम. सी. एम. ई की पांच उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार हैं :

- अल्पसंख्यक की व्यवसायिक शिक्षा एवं उनका कौशल विकास
- क्षेत्र एवं जिले के आधार पर अल्पसंख्यक की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना
- लड़कियों का नामांकन सुनिश्चित करना
- अल्पसंख्यक के लिए बनाई गयी योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- उर्दू भाषा का संवर्धन और अंग्रेजी ज्ञान के जरिए अल्पसंख्यकों के बीच संगतता की वृद्धि। [5]

[5] http://164.100.47.193/intranet/Minority_Education.pdf

1.9.5 प्रधानमंत्री का 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का केंद्र प्रायोजित क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम केंद्र सरकार का पहला प्रमुख आयोजित हस्तक्षेप था। यह अभी भी एक संशोधित संस्करण में जारी है जो मदरसों के साथ संरचित और औपचारिक भागीदारी का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए **'15 बिंदु कार्यक्रम'** में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 1983 में इसका विमर्श किया गया था। हालांकि यह 1993-94 तक एक ठोस कार्यक्रम नहीं बन पाया जब राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (1986) की संशोधित योजना (1992) की कार्रवाई ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अल्पवधि, मध्य-अवधि और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया। मूल रूप से बुनियादी ढांचे के विकास और पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण पर केंद्रित दो अलग-अलग कार्यक्रमों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। अब यह एक अलग अंग के रूप में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के संस्करण, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के दायरे में लाया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है और मदरसे सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल वही पंजीकृत मदरसे, जो तीन साल से अस्तित्व में रहे हैं, सहायता आवेदन के लिए मांग कर सकते हैं (वार्षिक रिपोर्ट, 2012-13)।

कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक संस्थान जैसे मकतब और मदरसों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण को प्रोत्साहित करना है जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। कार्यक्रम के पहले चरण में (आठवीं पंचवर्षीय योजना 1999-97) प्राथमिक कक्षाओं को आवृत्ती किया गया एवं द्वितीय चरण में (नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002) माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने वाली संस्थानों तक बढ़ा दी गई थी। पहले चरण में किताब बैंक की स्थापना और पुस्तकालयों की वृद्धि के साथ-साथ मदरसों को योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी गई थी।

विज्ञान और गणित के आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था को भी इसमें शामिल किया गया था। इस योजना की समीक्षा की गई और वर्तमान (दसवीं) योजना में जारी रही जिसमें 5000 मदरसे को शामिल किया गया (आठ राज्यों में कुल 15 प्रतिशत से कम मदरसें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं), जहाँ केंद्र सरकार द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया गया।

अब तक 4694 मदरसे योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन 2002 और 2006 के बीच कुल आवंटन केवल 1060 मिलियन रूपए (लगभग 27 मिलियन डॉलर) का ही हो पाया है,

जिसमें से एक पर्याप्त राशि (लगभग 75 प्रतिशत) बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्पित था। इस तरह के कम वित्तीय संवितरण की विशेषता एक तरफ सरकार द्वारा सूचना के अपर्याप्त प्रसार के लिए है जो शायद इसकी गंभीर मंशा की कमी को दर्शाती है और दूसरी तरफ कुछ उलेमाओं का कार्यक्रम में भाग लेने से उनकी सत्ता पर पकड़ को कमजोर होना है (नायर, 2014)।

1.9.6 मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की स्कीम (एस.पी.क्यू.ई.एम)

एस.पी.क्यू.ई.एम मदरसों में गुणात्मक सुधार लाना चाहती है ताकि मुस्लिम बच्चे औपचारिक शिक्षा के विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। एस.पी.क्यू.ई.एम की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्न हैं :

- औपचारिक पाठ्यक्रम में विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि के अध्यापन में अध्यापकों को बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के माध्यम से मदरसों में सक्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- ऐसे अध्यापकों का हर दो वर्ष में नई शैक्षणिक प्रथाओं में प्रशिक्षण।
- माध्यामिक और उच्चोतर माध्य मिक चरण के मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला और वार्षिक अनुरक्षण लागतों के लिए प्रावधान करना।प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किट का प्रावधान करना।
- पुस्तकालयों और पुस्तक बैंकों को मजबूत करना और सभी स्तर के मदरसों में अध्यापन ज्ञान सामग्री प्रदान करना।

इस संशोधित स्कीम की अद्वितीय विशेषता यह है कि यह मदरसों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्यायित केंद्र के रूप में राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान (एन.आई.ओ.एस) के मदरसों के साथ लिंकेज को प्रोत्साहित करती है जो ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 5, 8, 10 और 12 के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। यह उनको उच्च अध्ययन में जाने में समर्थ बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गुणवत्ता मानक राष्ट्रीय शिक्षा के समान हैं। इस स्कीम में एनआईओएस(N.I.O.S) को पंजीकरण और परीक्षा फीस के साथ प्रयोग किए जाने वाली अध्यापन ज्ञान सामग्री भी कवर की जाएगी।

स्कीम की मॉनीटरिंग और लोकप्रियता के लिए यह राज्य मदरसा बोर्डों को वित्तपोषित करेगी। भारत सरकार स्वयं आवधिक मूल्यांकन करेगी। (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)। [6]

1.9.7 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे

राज्य सरकारों को शिक्षा बंधक योजना के तहत केंद्र स्थापित करने की छूट दी गयी है, जिसके अलावा भी वे वैकल्पिक और नवीन शिक्षा घटक के तहत अपरिचित मदरसों, विशेष रूप से लड़कियों के मदरसों, में हस्तक्षेप कर मुफ्त पाठ्यपुस्तक और एक अतिरिक्त शिक्षक प्रदान कर सकते हैं। यह दोनों योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) के अंग हैं जो प्राथमिक शिक्षण का सार्वभौमिकरण एक समुदाय के गुणवत्ता शिक्षा प्रणाली के माध्यम से करने का उद्देश्य रखती है। यह साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक फासलों को कम करने का लक्ष्य रखती है सहायता के रूप में आवश्यकतों के लिए एक छोटी राशि के अलावा शिक्षण की सामग्री और शिक्षण उपकरणों के लिए एक वार्षिक राशि प्राप्त करवाई जाती है। इसके अलावा भी एक छोटी सी मासिक राशि किसी एक प्रशिक्षक को दी जाती है, जिसे वर्ष में एक बार प्रेरणा -प्रशिक्षण और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्मुखीकरण करवाने के लिए मानदेय के रूप में दिया जाता है। [7]

1.9.8 मदरसे में मध्यान्ह भोजन योजना

उत्तरप्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने का निर्णय किया है। लेकिन इसमें एक शर्त यह रखी गयी कि वह मदरसे जो मुख्यधारा की शिक्षा (विज्ञान एवं गणित) प्रदान करते हैं उन्हें ही मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किया जायेगा। वर्तमान में कुछ मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कर दी गयी है (नवभारत टाइम्स, 2017)।

[6] http://mhrd.gov.in/hi/edu_madrasas-hindi

[7] http://164.100.47.193/intranet/Minority_Education.pdf

1.10 वक्फ़ परिषद: सरकारी नियंत्रण और निरीक्षण के तहत संसाधन प्रदान करना

वक्फ़ वह अचल या चल संपत्ति है जिसे मुस्लिम व्यक्तिगत कानून द्वारा धार्मिक या धर्म संबंधित उद्देश्यों को स्थायी रूप से समर्पित करने के लिए परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार ने वक्फ़ संपत्तियों का संचालन और गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा की पहल का समर्थन करने के लिए इसके आय का इस्तेमाल करने हेतु व्यवस्था की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1954 में मुस्लिम वक्फ़ अधिनियम (1995 में संशोधन) को पेश किया, जिसके प्रशासन के लिए एक केंद्रीय वक्फ़ परिषद (1964) की स्थापना भी की गयी। इस परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षिक उन्नति कार्यक्रम को लागू करना। वक्फ़ प्रभारी केंद्रीय मंत्री ही केंद्रीय वक्फ़ परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

परिषद को केंद्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त होता है जिसे वह शहरी क्षेत्रों के वाणिज्यिक विकास के लिए वक्फ़ संस्थानों को ऋण के रूप में वितरित करता है, ताकि वक्फ़ के शैक्षिक कोष में ऋण का 6% दान किया जा सके (भारत का राज्य पत्र)। [8]

1.11 केंद्रीय मदरसा बोर्ड का गठन

मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के कुछ सदस्यों ने केंद्रीय मदरसा बोर्ड गठित करने की पैरवी की है हालांकि उनका यह कहना है कि सरकार इससे जुड़ा कदम उठाते समय मुस्लिम समाज के सभी तबकों को विश्वास में ले (नवभारत टाइम्स,2017)। केंद्रीय मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर कुछ ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने विरोध किया परंतु इस विशेषज्ञ समिति के संयोजक और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के सदस्य सैयद बाबर अशरफ ने कहा, 'केंद्रीय मदरसा बोर्ड बनना मदरसों के हित में रहेगा, लेकिन ऐसा कोई कदम उठाने या कानून बनाने के लिए मुस्लिम समाज के सभी तबकों को विश्वास में लेना चाहिए। सभी लोगों से बातचीत करके मदरसा बोर्ड बनाना अच्छा कदम होगा। समिति के कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं। (नवभारत टाइम्स,2017) यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ इंडिया (यू.एम.आई) ने भी प्रस्तावित केंद्रीय मदरसा बोर्ड का स्वागत किया है। यूएमआई(UMI) के मानद महासचिव डॉ. सैयद ए. खान ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह तथ्य देश के सामने आ गया है कि सिर्फ ४ फीसदी मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होनें आगे कहा कि अगर यूपीए सरकार वास्तव में सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लागू करने की मंशा रखती है, तो उसे मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के स्तर को

[8] http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/wakf_act.pdf

ऊपर उठाने के लिए स्कूलों में उनके प्रवेश की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए (नवभारत टाइम्स, 2006)। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद (अरशद गुट) ने कहा है कि सरकार के मकसद पर उन्हें विश्वास कम है, और केंद्रीय मदरसा बोर्ड की बात आसानी से गले नहीं उतरती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बहाने भारत के चार प्रतिशत मुस्लिम विद्यार्थियों की चिंता करने का दिखावा तो कर रही है लेकिन बाकी 96 प्रतिशत विद्यार्थियों के हक़ में कोई क़दम नहीं उठा रही है (बी.बी.सी. हिन्दी, 2009)।

1.12 उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन

क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और असम में मदरसा मंडलों का गठन विशेष रूप से उनके आधुनिकीकरण के लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि एक समर्पित मंडल का गठन हो, जो अभी तक औपचारिक रूप से गठित नहीं हो पाया है जिसकी वजह से वह अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश अरबी और फ़ारसी बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहा है। शिक्षा विभाग के अधीन निरीक्षक अरबी मदरसा उ.प्र. पदैन रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षायें उ.प्र. इलाहाबाद में संचालित था। स्थानान्तरण-वर्ष 1996 में शासन ने इस कार्यालय को शिक्षा विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कर दिया है। मदरसा बोर्ड का गठन- विधायी अनुभाग-1, उ.प्र. की अधिसूचना संख्या 1571/सात-वि.-1-1 (क) 33-2004 दिनांक 06.12.2004 द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 का प्रख्यापन किया गया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या सी.एम.-205/52-3-2007-2(170)/98 दिनांक 14.12.2007 द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ का गठन किया गया।

1.12.1 मदरसा बोर्ड का कार्य

मदरसा बोर्ड के अंतर्गत निम्न कार्य सम्पन्न होते हैं, जो नीचे उल्लेखित हैं:

1.12.2 मान्यता प्रदान करना

मदरसा बोर्ड के अधीन तहतनिया, फ़ौकानीय, आलिया स्तर के मानक पूर्ण करने वाले मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन संचालित मदरसों की स्थिति इस प्रकार है-

तालिका 1.1. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन संचालित मदरसों का स्तर

क्रम स.	मदरसे का स्तर
1.	तहतानिया (प्राइमरी स्तर)
2.	फौकानिया (जू0हाईस्कूल स्तर)
3.	आलिया(मुंशी,मौलवी,आलिम,कामिल, फाजिल)

1.12.3 परीक्षाओं का आयोजन एवं संचालन

तालिका 1.2. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं का विवरण

क्रम स.	परीक्षा का स्तर
1.	मुंशी/मौलवी (समकक्ष हाईस्कूल) (उ0प्र0 शासन द्वारा उच्च शिक्षा एवं नियुक्ति हेतु मान्य किया गया है)
2.	आलिम (समकक्ष इण्टरमीडिएट) (उ0प्र0 शासन द्वारा उच्च शिक्षा एवं नियुक्ति हेतु मान्य किया गया हैं)

1.12.4 मदरसा अनुदान

समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता रहा है। जिसके लिए प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है एवं अनुदान हेतु मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले मदरसों को अनुदान सूची पर सम्मिलित किए जाने की संस्तुति की जाती है।[9]

[9] http://madarsaboard.upsdc.gov.in/About.aspx

1.12.5 उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति

उत्तर प्रदेश देश में सबसे पुराने और प्रसिद्ध मदरसों का केंद्र है, जिनमें से कई अलग-अलग के केंद्र बिंदु विकसित हुए जिसमें दारुल उलूम देवबंद और लखनऊ में नदवतुल उलेमा का नाम लिया जा सकता है। राज्य के संचालित 15,000 मकतब और 10,000 मदरसे राज्य के केवल एक छोटे सी इकाई 3,00,000 से कुछ अधिक छात्रों तक ही पहुँच पाता है। (सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 1 मिलियन छात्रों के बीच)। अध्ययन के अनुसार यह भी माना जाता है कि यहाँ के बच्चे अक्सर साधारण स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं, ताकि उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति और दोपहर के मुफ्त भोजन की सुविधाएं मिल जाएँ। मदरसा शिक्षा के संदर्भ में राज्य में मुसलमानों की साक्षरता के कम स्तर पर भी एक मौलिक सवाल खड़ा हो उठता है कि राज्य में औसत मदरसों की प्रकृति क्या है ? और एक मुस्लिम बच्चे की शिक्षा में उनकी क्या भूमिका है।

उत्तर प्रदेश में मदरसों की दो श्रेणियां पाई जाती हैं:

वह मदरसे जो उत्तर प्रदेश अरबी और फ़ारसी बोर्ड (उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ़ विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये खुद दो प्रकार के होते हैं: (क) मान्यता और सहायता प्राप्त; और (ख) मान्यता प्राप्त लेकिन गैर-अनुदानित। मान्यता या अनुदान की मांग एक पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

दूसरी श्रेणी में अपरिचित समुदाय सहायता प्राप्त मदरसों की होती हैं। यह मकतब प्रकार के छोटे मदरसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे नदवा और दारुल उलूम देवबंद जैसे जामिया स्तर तक भी जा सकते हैं। उनकी आर्थिक अवस्था पर ही वहां कि शिक्षावस्था निर्भर करती हैं। कुछ बड़े मदरसे भी छोटे मदरसों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, छोटे मदरसे और मकतब के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है (परवीन, 2017)।

1.13 संसाधन

मदरसों की एक बड़ी संख्या, निम्न स्तरीय सुविधाओं के साथ, स्थानीय मस्जिदों से जुड़ी इमारतों के बाहर चलती आई हैं। इसके अलावा कई मदरसे और जामिया गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल भी स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ में जामिया नदवातुल उलूम अपने लंबे इतिहास और समुदाय में उसकी उपस्थिती के कारण सुविधाओं से लैस हॉस्टल और पुस्तकालय का निर्माण करा पाया है। लड़कियों के मदरसों और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की तरह मदरसा अपने खुद की

ईमारत से चलते हैं। पहले ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) और कई स्थानीय परोपकारी कुछ भूमि दान दे देता थें जिसके ऊपर मदरसे की ईमारत बनती थी/है। मदरसे अपने संसाधनों के साथ ज़मीन खरीदने लगें और संपत्ति से किराया भी प्राप्त करने लगे। ज़मीन विधिवत संबंधित सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं।

मदरसे दूसरे गैर-सरकारी संस्थाओं की तरह विदेशों से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें गृह मंत्रालय के विदेशी मुद्रा रेग्युलेशन एक्ट के कानून का पालन करना पड़ता है। मदरसों को समय-समय पर सोसाइटी के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आवश्यक होता है। विदेशी मुद्रा रेग्युलेशन एक्ट एवं सोसाइटी के प्रमाण-पत्र के बाद संस्थाओं का पुलिस सत्यापन भी होता है। पुलिस इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाती है कि संबंधित विदेशी पैसे का इस्तेमाल किसी राजनैतिक हित साधने के लिए तो नहीं होता है। जिससे मदरसे बिना किसी रुकावट के विदेशों से प्राप्त आर्थिक मदद से संचालित हो सकते हैं। अधिकतर मदरसों का संचालन ईद-उल-अज़हा के दौरान प्राप्त किए हुए ज़कात, फ़ित्र, चर्म-ए-कुर्बानी एवं दूसरे प्रकार के दान से होता है।

1.15 आधुनिक विषयों का एकीकरण

उत्तर प्रदेश के आधुनिक विषयों का पाठ्यक्रमों में एकीकरण राज्य के हस्तक्षेप से बहुत पहले ही मदरसों में शुरू हो चुका था। यह एक स्थापित बात है कि लखनऊ में जामिया नदवातुल उलूम पहले संस्थानों में से एक है जहाँ आधुनिक विषयों की शुरुआत हुई थी।

राज्य के समर्थन ने मदरसों को दूसरी तरफ समकालीन विषयों के लिए और अधिक स्थान दिया। मदरसों ने इस अपेक्षाकृत उदार व्यवस्था की रक्षा की और कहा कि जबकि इस्लामिक अध्ययन और कुरान उनके पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा थे, इस्लामी संस्कृति मदरसों के भीतर जीवन जीने का एक तरीका। उन्होंने भी समय के साथ यह महसूस किया कि छात्रों में अन्य कौशल को विकसित करने की आवश्यता है क्योंकि उनमें से सभी का इमाम, मौलाना या काजी होना संभव नहीं है। राज्य अनुदानित (वाराणसी) मदरसे के प्रबंधक ने यह तर्क कि कार्यात्मक शिक्षा जिससे स्थाई आजीविका सुनिश्चित हो और उसी के साथ- साथ मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी इस स्तर की प्रदान कराई जाए जिससे आलिमों का भी पोषण हो सके। इसलिए वहाँ धार्मिक क्षेत्र से विकल्प भी उपलब्ध कराने की जरूरत है। प्रबंधक आगे कहते हैं की 'हम विज्ञान समेत अलग विषयों का शिक्षण हमेशा से मदरसों में कराते आएं हैं। गणित और अंग्रेजी का शिक्षण लंबे समय से राज्य-समर्थित योजनाओं के हस्तक्षेप से पहले ही चलता आया है। सरकारी धन केवल बेहतर और योग्य शिक्षकों की भर्ती करने में सक्षम होगा।'

प्रबंधक ने यह भी कहा कि अगर मदरसे कभी यह महसूस करते हैं कि राज्य किसी भीतरह से उनके धार्मिक विचारधाराओं में दरार लाने की कोशिश करता है तो मदरसे उसके नियंत्रण से दूर चले जायेंगे।

1.16 पंजीकरण और मदरसों की पहचान की देरी की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में मदरसों को पंजीकरण अधिनियम 1860 या अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है यदि वे अपने कार्यों की वैधता और कानूनी स्वीकृति सुनिश्चित करना चाहते हैं। अवलोकन में शामिल मदरसा आवश्यक पंजीकरण प्राप्त था और इस प्रक्रिया में उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जो स्वतंत्र मदरसे और जामिया राज्य से वित्त सहायता प्राप्त नहीं कर पते हैं, उन्हें भी अन्य गैर सरकारी संगठनों की तरह पंजीकृत होना आवश्यक है ताकि वे धन जुटाने में बाहरी स्रोतों की सहायता ले सकें।

राज्य समर्थन प्राप्त करने हेतु आवेदन से पहले मदरसों का अस्तित्व कम से कम तीन साल पुराना होना चाहिए। जिसके बाद वे मान्यता के लिए मदरसा बोर्ड से स्वीकृति की मांग कर सकते हैं। पुराना बोर्ड पहले राज्य स्तर पर मान्यता दिया करती थी; हालांकि 2003 के बाद से इस प्रक्रिया को जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला मुख्य विकास अधिकारी को मदरसों की सिफारिश करने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गयी है, जहाँ वे उनकी जाँच कर सकें। मदरसों की एक बड़ी संख्या मान्यता प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर वित्त और बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह उन्हें प्राथमिक स्तर पर नियमित रूप से अपने विद्यार्थियों को मुख्य धारा में अवसर प्राप्त करवाती हैं (परवीन, 2017)।

1.16.1 कमजोर कार्यान्वयन

कार्यान्वयन में अंतराल कार्यक्रम की धीमी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण ज्ञात होता है। राज्य-मदरसा के लिए में परेशानी के अधिकांश कारण संचालन से ही होते हैं जो मुख्यधारा के सरकारी स्कूलों में नौकरशाही प्रशासन की समस्याओं से अलग नहीं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के समर्थन संकुल होने के बावजूद भी पाठ्यक्रम पुस्तकों के वितरण में देरी, छात्रवृत्ति और शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी इसमें कठिनाइयां खड़ी करती हैं। बात-चीत से ज्ञात हुआ की राज्य शिक्षकों के लिए सीमित समर्थन देती है, जिसकी वजह से इन्हें खुद से सहायता प्राप्त करनी पड़ती है। मुख्यधारा के सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से शिक्षकों के वेतन और मदरसों में शिक्षकों के वेतन के बीच विसंगति के बारे में भी असंतुष्टि रही है।

1.17 मदरसा एसोसिएशन

उत्तर प्रदेश में मदरसे या तो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या बड़े मदरसों से जुड़े हुए हैं। वहाँ दो जाने माने संघ मौजूद होते हैं-दीनी तालीम परिषद और मदरसे अरबी शिक्षक संघ। इनमें से प्रथम संघ मुस्लिम बच्चों को सरकारी स्कूलों में शामिल होने से रोकने की बात करता है, और दूसरा संघ मदरसों और राज्य को साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्राप्त कराता है।

1.17.1 मदरसा शिक्षक एसोसिएशन

मदरसा अरबी शिक्षक संस्थान 1967 में स्थापित कि गई और इसके सदस्यों में दोनों, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, शिक्षक शामिल हैं। संस्थान समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 से पंजीकृत है। इस संस्थान के चुनाव हर पांच साल में आयोजित किये जाते हैं। संघ वर्तमान में यह दावा करती है कि अपनी तालिका पर इसके पास 7000 सदस्य हैं। सदस्यता शुल्क सिर्फ 5 रुपये ली जाती है।[10]

1.18 मदरसा शिक्षा का उद्देश्य

मदरसा शिक्षा का उद्देश्य इस्लामिक विश्वास के मूल सिद्धांत को सीखने से है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुरान की शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए रटंत विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मदरसा शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है ताकि विद्यार्थियों को कुरान और शरीयत के द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण कर सके और मानव जाति के ज्ञान और बौद्धिक विकास के लिए उन तक खुदा का संदेश पहुचाएं (खान, 2002) जबकि (हसन, 2008) ये तर्क देते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की तरह स्नातकों का उत्पादन करना है।

1.19 मदरसे में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य शिक्षक एवं विद्यार्थी की सीखने से सम्बंधित अंतःक्रिया से है। विधार्थियों के समय का सर्वोत्तम उपयोग तथा शिक्षकों के संसाधन का सकारात्मक प्रभाव इस प्रक्रिया पर पड़ता है। मदरसे में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अर्थ एक ऐसी विधि है, जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों शामिल होते हैं। शिक्षण अधिगम की विभिन्न विधियाँ जो कि कक्षा के दौरान विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने का काम

[10] http://teachersassociationmadarisarabia.com/

करती हैं तथा उनके कौशल विकास के लिए सहायक सिद्ध होतीं हैं इसके लिए निम्न विधियाँ प्रस्तावित हैं-

भाषण विधि, प्रयोगशाला एवं कक्षा अभ्यास, ट्यूटोरियाल सेमिनार, अभ्यास कार्य, स्वतंत्र अधिगम कार्य, कंप्यूटर आधारित अधिगम आदि के द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है। परंतु अधिकांश मदरसों में शिक्षण कार्य परंपरागत शिक्षण विधि के द्वारा ही सम्पन्न होता है।

1.20 पाठ्यक्रम

भारत में मदरसा पाठ्यक्रम की शुरुआत गयाज़ुद्दीन बलबन अलाउद्दीन खिलजी के समय 12 वी शताब्दी में होती है। उस समय तक मदरसे में आधुनिक विषय शामिल थे। औरंगजेब (1677-1798) ने मुल्ला निज़ामुद्दीन अहमद सिहल्वी के द्वारा नया पाठ्यक्रम विकसित किया जिसे दर्स-ए-निज़ामी के नाम से जाना जाता है (अली 2015)। उर्दू में इसे निसाब-ए-तालीम कहते हैं। तमाम शिक्षक इसी के आधार पर काम करते हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में सभी मदरसों का स्वरूप अलग होता है। किसी भी मदरसों के बीच में विषय, पाठ्य-सामग्री या पाठ्यक्रम के आधार पर कोई समानता नहीं पाई जाती है। साथ ही, इनकी शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने में भी किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। सभी मदरसे स्वयं के हिसाब से उपाधियाँ प्रदान करते हैं तो इस आधार पर सभी मदरसों का सामान्यीकरण करना कि इनका स्वयं का कोई पाठ्यक्रम होता है॥ यह बिलकुल ग़लत होगा॥

भारत में कई विचारों के मदरसे पाये जाते हैं। जिनमें तीन मुख्य हैं। अहले-सुन्नत वाल जमात, अहले-हदीस एवं देवबंदी इन सभी मदरसों के पाठ्यक्रम में एकरूपता नहीं होती है।

ऐसे मदरसे जहां मिश्रित पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ऐसे मदरसे उत्तरप्रदेश में हर जगह मिलते हैं। ये किसी विशेष मदरसें के पाठ्यक्रमों का पालन नहीं करते है। ये अलग-अलग मदरसे की विभिन्न पुस्तकों को इकट्ठा कर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उदाहरण के लिए, ऐसे मदरसे भी हैं जो दारुल उलूम, देवबंद और नदवातुल उलूम, लखनऊ के पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं। कुछ दारुल उलूम, नादवातुल उलूम, लखनऊ और किसी आधुनिक विद्यालय या कॉलेज के पाठ्यक्रम का भी पालन करते हैं। संक्षेप में कहा जाये तो सभी मदरसा एक पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करता है। मदरसा सलफिया (देवबंदी) के शिक्षण का अपना ही तरीका है। बरैलवी अपनी पसंद के विषय को पढ़ाते हैं। जामात इस्लामी से जुड़े लोग स्वयं के विद्यार्थियों को शिक्षण के लिए स्वयं की पद्धति अपनाते हैं।

वे मदरसे जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों के पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन दिया जाता है। जो निम्न हैं-

तालिका 1. 3. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के मुंशी/मौलवी का पाठ्यक्रम

अनिवार्य विषय	**वैकल्पिक विषय**
थियोलाजी (शिया/सुन्नी)	गणित/गृह विज्ञान/ लाजिक एण्ड फिलास्फी/ सामान्य अध्ययन/विज्ञान/तिब
क-अरबी साहित्य (मौलवी अभ्यर्थी के लिये) ख-फारसी साहित्य (मुंशी अभ्यर्थी के लिये)	
उर्दू साहित्य	
सामान्य अंग्रेजी	
सामान्य हिन्दी	

तालिका 1. 4. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के आलिम अरबी/फारसी का पाठ्यक्रम

अनिवार्य विषय	**वैकल्पिक विषय**
थियोलाजी (शिया/सुन्नी)	गृह विज्ञान/ सामान्य हिन्दी/ लाजिक एण्ड फिलासफी/ सामान्य अध्ययन/ विज्ञान/ टाईपिंग/तिब
क-अरबी साहित्य (आलिम अरबी अभ्यर्थी के लिये) ख-फारसी साहित्य (आलिम फारसी अभ्यर्थी के लिये)	
उर्दू साहित्य	
सामान्य अंग्रेजी	

तालिका 1. 5. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के कामिल अरबी/फारसी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	**अनिवार्य विषय**	**वैकल्पिक विषय**
1.	मुताल-ए-हदीस	लाजिक एण्ड फिलासफी/ अरबी साहित्य/उर्दू साहित्य/फारसी साहित्य / सामनी अँग्रेजी/ कम्प्यूटर / सामान्य अँग्रेजी
2.	मुताल-ए-मजाहिब	
3.	क-अरबी साहित्य (कामिल अरबी अभ्यर्थी हेतु) ख- फारसी साहित्य (कामिल फारसी अभ्यर्थी हेतु)	
4.	फुनूने अदब, बलागत व उरूज	
5.	सामाजिक अध्ययन	

तालिका 1.6. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के कामिल अरबी/फारसी तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	मुताल-ए-फिक्ह इस्लामी (सुन्नी/शिया)	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	मुताल-ए-उसूले फिक्ह (सुन्नी/शिया)	
3.	क-जदीद अरबी अदब की तारिख (कामिल अरबी तृतीय वर्ष अभ्यर्थी हेतु) ख- जदीद फारसी अदब की तारीख (कामिल अरबी तृतीय वर्ष अभ्यर्थी हेतु)	
4.	तरजुमा निगारी इंशा व ताबीर	

तालिका 1.7. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल दीनियात (थियोलाजी) प्रथम वर्ष का पाठ्यक्र

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	मुताल-ए-कुरान	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	मुताल-ए- हदीस	
3.	मुताल-ए- फिक्ह इस्लामी	
4.	क-मुताल-ए-तसव्वुफ अथवा मुताल-ए-इल्मे कलाम (सुन्नी) ख- मुताल-ए-अख्लाक व इरफान (शिया)	

तालिका 1.8. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल दीनियात (थियोलाजी) द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	मज़हबी तारीख़ व अकायद	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	इस्लामी सकाफत	
3.	इस्लाम एवं साइन्स	
4.	रिसर्च प्रोजेक्ट (तहकीकी मुताला)	

तालिका 1.9. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल माकुलात (लाजिक एण्ड फिलासफी) प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	मनतिक(कदीम व जदीद)	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	तबीआत	
3.	इलाहियात	
4.	तारीख़ फलसफये इस्लाम	

तालिका 1.10. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल माकुलात (लाजिक एण्ड फिलासफी) द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	कलाम तसव्वुफ	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	फलसफ-ए-जदीद	
3.	फलसफ-ए-अख्लाक़	
4.	तहकीकी मुताला	

तालिका 1.11. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल अरबी साहित्य प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	अरबी नस्र (कदीम व जदीद)	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	अरबी नज़्म (कदीम व जदीद)	
3.	फुनूने अदब (नहव, मआनी व ब्यान, लिसानयात)	
4.	तर्जुमा	

तालिका 1.12. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल अरबी साहित्य द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	तनकीद	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	असनाफ अदब	
3.	ताबीर इंशा	
4.	तहकीकी मुताला	

तालिका 1.13. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल फारसी साहित्य प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	कदीम फारसी अदब	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	जदीद फारसी अदब	
3.	मुतसव्वीफाना अदब	
4.	तारीख़ फारसी अदब	

तालिका 1.14. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के फाजिल फारसी साहित्य द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

क्रम स.	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1.	हिन्दु स्तानी फारसी अदब	वैकल्पिक विषय कोई नहीं।
2.	फुनूने अदब	
3.	इशा व तर्जुमा	
4.	तहकीकी मुताला	

ध्यानार्थ रहे मूलतः मदरसों की शैक्षणिक प्रक्रिया भिन्न होती है और यह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अलग अलग विधि अपनाते हैं। आधुनिक विद्यालयों और कॉलेजों की भांति मदरसा में भी शिक्षा के कई स्तर होते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर आदि। वास्तव में मकतब, आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने की जगह होती है जिसका स्वयं का पाठ्यक्रम होता है यहां विद्यार्थियों को अरबी तथा उर्दू पढ़ाई ख़ासतौर से पढ़ाई जाती है। साथ ही ये सभी उर्दू, हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को लिखने-पढ़ने की कला को भी सीखते हैं। इन्हें इस्लाम के बारे में भी बुनियादी जानकारी दी जाती है, जिसमें वह इस्लाम के पांच स्तंभों को पढ़ते हैं, जैसे- तौहीद (अल्लाह एक है), सलात (पांच वक़्त का नमाज़), रोज़ा, जकात और हज आदि। आधुनिक शिक्षा जैसे कि अंग्रेज़ी, हिंदी, भूगोल और गणित के कुछ विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

मकतब के बाद छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए जाना होता है जो हिफ़्ज-ए-क़ुरान (पवित्र क़ुरान को याद करने) से शुरू होता है। मदरसों में इसके लिए अलग-अलग वर्ग हैं, जैसे- हिफ़्ज़-ए-क़ुरान का वर्ग, तज्वीद और किरात का वर्ग (जहां विद्यार्थी अरबिक भाषा का सही उच्चारण और पवित्र क़ुरान का सस्वर पाठ करना सीखते हैं), आलमियत का वर्ग (जहां विद्यार्थी आखिरी के नौ-दस सालों तक इस्लामिक कला और विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं)। ध्यान रहे सभी मदरसों की शैक्षणिक प्रणाली स्वयं के हिसाब से होती है। कुछ मदरसों में केवल उर्दू, हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ पवित्र कुरान और तजवीद याद रखने के बारें में ही जानकारी दी जाती है।कुछ मदरसों में हिफ़्ज़-ए-कुरान के साथ, आलमियात पाठ्यक्रम का आधा हिस्सा भी पढ़ाया जाता

है और कुछ में आलमियात का पूरा पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। आमतौर पर जो मदरसें हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें जामिया कहते हैं। संक्षेप में, मदरसे का पूरा पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है:

- क़ायदा:- (अरबी वर्णमाला पुस्तक, जिसमें एकल और जुड़े हुए शब्दों के समूह से बने हुए वाक्य प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए होता है)
- नाज़रह क़ुरान:- (क़ुरान को देखकर बच्चों का पढ़ना)
- दीनियात:- (इस्लाम की मूलभूत जानकारी)
- उर्दू, हिंदी, या क्षेत्रीय भाषा को लिखना और पढ़ना।
- अंग्रेज़ी, हिंदी, और गणित इत्यादि।

1.20.1 वाराणसी के मदरसा का पाठ्यक्रम

वाराणसी के मदरसा में जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की पाठ्य पुस्तकें भी शामिल हैं। इन पाठ पुस्तकों के अतिरिक्त, पवित्र कुरान का पाठ और अन्य इस्लामी किताबें भी शामिल हैं। ये सभी मकतब दीनी-तालीमी परिषद से जुड़े हैं। अगर हम देखे तो मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक में जो पाठ्यपुस्तक पढ़ायी जाती है उसमें मदरसे की कुछ पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की ही पढ़ायी जाती हैं।

तालिका 1.15. सरकारी विद्यालय एवं मदरसा के कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करती सारण

उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की पुस्तकें			मदरसा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक		
क्रम सं.	**विषय**	**पुस्तक एवं भाग**	**क्रम सं.**	**विषय**	**पुस्तक एवं भाग**
1	हिंदी	मंजरी	1	हिंदी	मंजरी
2	गणित भाग-1	अंक- गणित	2	गणित भाग-1	अंक- गणित
3	गणित भाग-2	बीज- गणित और रेखा-गणित	3	गणित भाग-1	बीज-गणित और रेखा-गणित
4	अँग्रेजी	रेनबों	4	अँग्रेजी	रेनबों
5	संस्कृत/उर्दू	वर्तिका	5	उर्दू	तमिरे अदब*
6	इतिहास/नागरिक शास्त्र	हमारा इतिहास और नागरिक जीवन	6	इतिहास/नागरिक शस्त्र	हमारा इतिहास और नागरिक जीवन
7	विज्ञान	परख	7	विज्ञान	आओ विज्ञान सीखे
8	ड्राइंग/म्यूजिक/वाणिज्या		8	भूगोल	हमारा परिवेश
9	शिल्पकला/पुस्तक कला/गृह विज्ञान	गृह शिल्प	9	दिनीयात	किताबुल अकायद अनवारे शरीयत*
10	स्काउट-गाइड	स्काउट-गाइड शिक्षा	10	उर्दू	हमारी ज़बान उर्दू*
11	पर्यावरण	हमारा पर्यावरण	11	गृह विज्ञान	आधुनिक गृह विज्ञान एवं परिचर्या
12	शारीरिक शिक्षा	खेल और स्वास्थ्य	12		
13	सामान्य ज्ञान	महान व्यक्तित्व			
14	भूगोल	पृथ्वी और हमारा जीवन			

यहाँ यह बात गौर करने की है कि मदरसा शिक्षण प्रणाली और आधुनिक शिक्षण प्रणाली एक-दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होती हैं। मदरसा स्वयं की शिक्षण प्रणाली और आधुनिक संस्थाएं स्वयं की शिक्षण प्रणाली से कार्यान्वित होती हैं। यह दोनों प्रणाली विषयों, शिक्षण और व्यवस्था के मामले में अलग-अलग हैं।

1.22 मदरसे के शिक्षक एवं विद्यार्थी

मदरसों में अधिकांश विद्यार्थी ऐसे घरों से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और ऐसे परिवारों के लिए शिक्षा का एकमात्र साधन मदरसा होता है क्योंकि मदरसा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही रहने और खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रदान करता है। इस प्रकार मदरसा वंचित मुस्लिम समुदाय की साक्षरता के विकास में एक अहम भूमिका अदा करता है। कई लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि मदरसा के विद्यार्थियों के लिए रोज़गार की व्यवस्था वास्तव में एक चिंता का विषय है क्योंकि विद्यार्थी गरीब परिवारों से आते हैं और उनके माता पिता इस उम्मीद से उन्हें मदरसों में भेजते हैं कि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद आजीविका के साधन के रूप में मस्जिद के इमाम या अन्य मदरसों में शिक्षक बन जायेगें (सिकंद, 2008)।

दुर्भाग्य से अधिकांश मदरसों के शिक्षक अप्रशिक्षित हैं और उनके प्रशिक्षण का भी कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मदरसा शिक्षक शिक्षण की नवाचारी तकनीकों से अंजान हैं। वर्तमान में कई मदरसा के प्रबंधक ने इस समस्या के समाधान के लिए मदरसों में तीन दिन का इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में शिक्षा के दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षण पद्धति पर प्रकाश डाला जाता है।

1.23 समस्या कथन

मदरसे की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया - एक नृजातीय अध्ययन

1.23.1 प्रयुक्त शब्दों की क्रियात्मक परिभाषा

क्रियात्मक परिभाषा से तात्पर्य चर को मापने के लिए गतिविधियों और कार्यों को निर्दिष्ट करने से है। एक परिचालात्मक परिभाषा जांचकर्ता को निर्देश देने का एक मैन्युअल है।

मदरसा - प्रस्तुत शोध कार्य में मदरसे से तात्पर्य मुस्लिमों द्वारा स्थापित एक ऐसे शिक्षा संस्थान से है जो धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया - प्रस्तुत शोध कार्य में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को केंद्र में रखकर होने वाली अन्तः क्रिया से है।

नृजातीय अध्ययन - प्रस्तुत शोध कार्य में नृजातीय अध्ययन से तात्पर्य व्यक्तियों तथा उसके समूहों का उनकी वास्तविक परिस्तिथियों में उनकी संस्कृति, मान्यताओं, विश्वासों तथा आपसी संबंधोंके वैज्ञानिक अध्ययन से है।

1.24 शोध का लक्ष्य - प्रस्तुत शोध का लक्ष्य मदरसे में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नृजातीय अध्ययन करना है।

1.25 शोध प्रश्न

- मदरसे में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है?
- मदरसे में शिक्षक-छात्र अन्तः क्रिया किस प्रकृति की है ?
- मदरसा शिक्षा व्यवस्था में नवाचार के प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थी किस तरह की अभिवृत्ति रखतें हैं?
- मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कौन कौन से सुझाव दिये जा सकते है ?

1.26 शोध उद्देश्य

- मदरसा शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- मदरसे की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक-छात्र अन्तः क्रिया का अध्ययन करना।
- मदरसा शिक्षा में नवाचार के प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थी की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- मदरसा शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

1.27 शोध का महत्व

मदरसा शिक्षा भारत समेत विश्व की प्राचीन शिक्षा पद्धति है शोधार्थी का यह शोध कार्य मदरसा शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करेगा। भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मदरसे में शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षा का अधिकार के अधिनियम अनुच्छेद 21-क

के अनुसार अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि मदरसा शिक्षा के उद्धेश्य तथा उसकी सफल एवं असफल शिक्षा व्यवस्था को समझा जाए। वर्तमान में शिक्षा समय के साथ परिवर्तित हो रही है नयी नयी शिक्षण पद्धति, नवाचार, एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में मदरसा शिक्षा किस हद तक इस आधुनिक शिक्षा के अनुरूप है, एवं साथ ही नवाचार के प्रति मदरसा के शिक्षक एवं छात्र की क्या अभिवृत्ती रखते हैं और क्या कारण है किमदरसा शिक्षा अभी भी मुख्यधारा में नहीं आ पायी है। अतः प्रस्तुत शोध के परिणाम से मदरसा शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा तथा मदरसा शिक्षा के प्रति लोगों की धारणा में परिवर्तन आएगा।

1.28 शोध का औचित्य

- प्रस्तुत शोध समस्या का औचित्य निम्नलिखित बिन्दुओ के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है।

- कक्षा 6 (अ) के स्तर पर इस तरह के शोध कार्य अभी तक नहीं हुए हैं।

- मदरसा शिक्षा से संबन्धित अन्य शोध कार्य जैसे- मदरसे की आधारभूत संरचना, शिक्षकों के प्रशिक्षण मदरसे के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकास, समाज पर प्रभाव एवं मदरसे के आधुनिकरण आदि से संबंधित अध्ययन कार्य तो अवश्य हुए हैं लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित शोध कार्य नहीं हुए हैं अतः शोधार्थी को इस तरह के शोध कार्य करने की ज़रूरत महसूस हुई।
- प्रस्तुत शोध कार्य में मदरसा शिक्षा का पाठयक्रम को भी जानने की कोशिश की गयी। जिससे यह पता चलेगा कि मदरसा शिक्षा वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कितना अनुकूल है।

- प्रस्तुत शोध कार्य के द्वारा कक्षा में छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का भी पता चलेगा और साथ ही शिक्षक छात्र अन्तः क्रिया को भी जानने के लिए शोधार्थी को इस तरह का शोध कार्य करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई।

- मदरसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार का प्रयोग हो रहा है या नहीं अगर हो रहा है तो वो किस स्तर तक इसे अपना रहे हैं इसके लिए प्रस्तुत शोध कार्य की ज़रूरत महसूस हुई।

1.29 शोध का परिसीमन

- प्रस्तुत शोध कार्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले तक ही सीमित है।
- यह शोध कार्य केवल मदरसे में ही किया गया है।
- इस शोध में केवल मदरसा गौसिया के कक्षा 6 (अ) के समस्त विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ही लिया गया है।

***